

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या- /चि0-3-16-जी0-08/2016
लखनऊ : दिनांक : 18 अक्टूबर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 बिजेन्द्र कुमार सिंह, चिकित्साधिकारी, हेल्थ कम्पाउण्ड रोशनाबाद, हरिद्वार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य का विकल्पधारी होने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य हेतु कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में रिट याचिका संख्या-525/2015 डा0 बिजेन्द्र कुमार सिंह बनाम प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून योजित की गयी। उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 09.12.2015 को सुनवायी करते हुए याची को उत्तराखण्ड राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य हेतु 01 माह के अन्दर कार्यमुक्त किए जाने के आदेश दिए गये। माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के पारित आदेश दिनांक 09.12.2015 के प्रभावी अंश निम्नवत हैं :-

"In the circumstances of the case, we, besides recording the said submission, direct that if the petitioner comes with the order relieving him from the State of Uttarakhand and present himself before the 3rd respondent, the 3rd respondent will give him posting at the earliest, at any rate within a period of one month from the date of production of order relieving him from the State of Uttarakhand."

2. मा0 उच्च न्यायालय के उक्त पारित आदेश दिनांक 09.12.2015 के समादर में उत्तराखण्ड शासन (चिकित्सा अनुभाग-2) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2080/xxviii-2/06(02)2012, दिनांक 23 दिसम्बर, 2015 द्वारा कार्यमुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। उक्त आदेशों के अनुक्रम में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-1प/रा0पु0/16/2013/30578, दिनांक 31.12.2015, के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार के पत्र दिनांक 28.01.2016 द्वारा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार के पत्र संख्या-ई-3/चिकि0अधि0/2015-16/1447, दिनांक 29.01.2016 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के लिये कार्यमुक्त किया गया। तदोपरान्त डा0 बिजेन्द्र कुमार सिंह, चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 02.02.16 को सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी।

उक्त सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-2फ/160-म-98/578, दिनांक 19.02.2014, पत्र संख्या-2फ/160-म-98/1278, दिनांक 18.06.2014 एवं पत्र संख्या-2फ/160-म-98/1965, दिनांक 19.11.2014 की आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त डा0 बिजेन्द्र कुमार सिंह, चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश राज्य में योगदान की तिथि 02.02.2016 से कार्यभार ग्रहण कराते हुए उन्हें मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी के अधीन एतद्वारा तैनात किया जाता है।

3. डा0 बिजेन्द्र कुमार सिंह, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायें।

वी0 हेकाली डिमोमी
सचिव

205/2016/1777

संख्या-

(1)/चि-3-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (प्रथम), उ०प्र० इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन चिकित्सा अनुभाग-2 के पत्र सं०-2080/xxv III-2/06(02)/2012, दिनांक 23.12.2015 के सन्दर्भ में।
4. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र की प्रति डा० बिजेन्द्र कुमार सिंह को तामील कराकर तामीली की सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-1प/रा०पु०/16/2013/30578, दिनांक 31.12.2015, के सन्दर्भ में।
6. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल उत्तराखण्ड।
7. अपर निदेशक, (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
8. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी।
10. मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार उत्तराखण्ड को सन्दर्भित पत्र दिनांक 28.01.2016 के क्रम में।
11. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कौशाम्बी।
12. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र० लखनऊ।
13. गार्ड फाइल/चिकित्सा अनुभाग-2 एवं 8।
14. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(जे० एल० यादव)
अनु सचिव।